2018/copy

मि0न0 15/2018 (रेफरेन्स) सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम रामप्रताप पुत्र मन्नालाल मीणा निवासी रीछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि गत खसरा नं0 172 हाल ख0न0 284 ग्राम रीछाहेडी तहसील दीगोद की मुताग्कि एकीकरण सेटलमेन्ट खतोनी सम्वत् 2013–2032 में खाता सरकार किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। उक्त आराजी नामा0 सं0 55 दिनांक 29.10.1977 से रामप्रताप पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी रीछाहेडी तहसील दीगोद के नाम दर्ज हो गई है। अतः खाता सं0 98 की प्रविष्टि व प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण सं0 55 वाके ग्राम रीछाहेडी निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित मे भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत दर्ज करने का निवेदन किया गया। उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । वकील अप्रार्थी के कथन अनुसार अप्रार्थी रामप्रताप पुत्र मन्ना लाल जाति मीणा निवासी रीछाहेडी तहसील दीगोद की मृत्यु हो चुकी है। इस न्यायालय के पत्र कमांक /रीडर/एडीएम/2019/772 दिनांक 08.08.2019, व 1191 दि0 19.11.19 से लिखे जाने पर भी मृतक के कायम मुकामान की सूची प्राप्त नहीं हुई है। जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नहीं है। अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार दीगोद मृतक अप्रार्थी के वारिसान की जांच कर वासियान के नाम व सही पते अंकित करते हुए पुनःनये सिरे से उक्त रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार दीगोद को लौटाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	